तारीख हुक्म

31.01.2024

पत्रावली प्रस्तुत की गई। वकील अपीलार्थी उपस्थित। वकील प्रत्यर्थी के प्रतिनिधि उपस्थित। वकील प्रत्यर्थी के प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित होकर न्यायालय से निवेदन किया गया कि वकील प्रत्यर्थी दस्तगत अपील पर कोई बहस नहीं करना चाहते हैं, अतएव वकील अपीलार्थी की एकपक्षीय बहस सुनकर न्यायालय सविवेक आदेश पारित करें।

वकील अपीलार्थी की बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थी ने न्यायालय के समक्ष कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने संबंधित समस्त पक्षों को सुने बगैर एकपक्षीय आदेश पारित किया है, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त का स्पष्ट उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त न्यायालय हाजा की दिनांक 16.12.2019 की आदेशिका अनुसार संबंधित ग्राम पंचायत के बैठक कार्रवाई रजिस्टर में अपीलाधीन इंतकाल के संबंध में किसी प्रविष्टि का न पाया जाना भी मामले को संदेहास्पद बनाता है। इसी प्रकार वकील अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 एवं सपठित धारा 151 सीपीसी के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात प्रतिलिपियों से भी प्रथमदृष्टया अपीलार्थी संख्या 1 एवं मृतक स्व. चुन्नी सिंह के बीच रिश्ता होना ठीक प्रतीत होता है।

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
	न्यायालय हाजा वकील अपीलार्थी द्वारा अपनी बहस मे उठाए गए बिन्दुओ से सहमत है एवं ~~अ~~ न्यायालय की राय मे अपील अपीलार्थी. अपीलाधीन इंतकाल के एकपक्षीय रूप से पारित किए जाने के कारण एवं पंचायत के बैठक कार्रवाई रजिस्टर मे उक्त के संबंध मे कोई प्रविष्टि न पाए जाने के कारण स्वीकार की जानी समीचीन है। – :आदेश: – अत: अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अपीलाधीन इंतकाल संख्या 108 दिनांक 05.02.2013 (अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत 3 एनडी द्वारा स्वीकृत) एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है एवं पत्रावली तहसीलदार अनूपगढ़ को इस आदेश के साथ रिमांड की जाती है कि वह अपीलाधीन भूमि मे हित रखने वाले संबंधित सभी पक्षों को सुनकर पुनः आदेश पारित करें। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) 31/01/2020	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2020.02.04 11:55:52 IST
Reason: SelfAttested
Location: